न्यायालय- वाणिज्यिक न्यायालय संख्या 01, मेरठ।

मूल वाद संख्या 284//2023

केनरा बैक बनाम मैसर्स तेजस गारमेंट्स और अन्य

दिनांकः 17-07-2025

वाद पुकारा गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हैं। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हैं।

<u>निस्तारण प्रार्थना पत्र कागज संख्या 21 क</u>

प्रार्थना पत्र कागज संख्या 21 क वादी द्वारा शपथपत्र कागज संख्या 22 ग के साथ वादपत्र में संशोधन करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

मैंने उक्त प्रार्थना पत्र पर वादी के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को सुना एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

संशोधन प्रार्थना पत्र के माध्यम से वादी वादपत्र में वादी के हेड आफिस के पते में "112, जे.सी. रोड़, बैंगलोर" अंकित करना चाहता है। अतः वर्तमान मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र कागज संख्या 21 क स्वीकार होने योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र कागज संख्या 21 क स्वीकार किया जाता है। वादी संशोधन प्रार्थना पत्र कागज संख्या 21 क के प्रकाश में वादपत्र में आवश्यक संशोधन एक सप्ताह के अन्दर करे तथा संशोधन करने के उपरान्त संशोधित वादपत्र की प्रति के साथ प्रतिवादीण को उभयप्रकार से समन जारी हो। इस निमित वादी आवश्यक पैरवी करे। पत्रावली दिनांक 14-08-2025 को प्रतिवाद पत्र हेतु पेश हो।

पीठासीन अधिकारी
वाणिज्यिक न्यायालय सं० 1,
मेरठ।

Digitally signed by SATYA NAND UPADHYAY
Date: 2025.07.17 16:06:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court